**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**
**Civil Writ Jurisdiction Case No.6694 of 2023**

==========

M/s Om Namah Shivay Enterprises having its registered office at Chiwra Hatti, P.S.- Siwan Town, Siwan- 841226, Godown- Chapra Road Tuntun Babu Ke Petrol Pump, P.S.- Saray O.P., Siwan- 841226 through its Proprietor namely Suradip Kumar @ Surdip Kumar, (Male), aged about 39 years, S/o Om Dev Prasad, Resident of Village- Makhdum Saray, P.S.- Saray O.P., P.O. and District- Siwan.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary cum Commissioner, Department of State Taxes, Government of Bihar, Patna.
3. The Special Commissioner of State Taxes, Government of Bihar, Patna.
4. The Additional Commissioner of State Taxes, (Appeal), Siwan.
5. The Joint Commissioner of State Taxes, Siwan.
6. The Assistant Commissioner of State Taxes, Siwan.

... ... Respondent/s

==========

**Appearance :**
For the Petitioner/s : Mr. Raju Prasad, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Vikash Kumar, SC-11

==========

**CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE**
**and**
**HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY**

ORAL ORDER

**(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)**

4 12-07-2023 The petitioner is aggrieved with the assessment order passed on 01.12.2022. The petitioner did not file an appeal as provided under section 107 of the BGST Act. The petitoiner seeks invocation of the extra ordinary remedy under Article 226 without availing the appellate remedy as provided in the statute.

The learned cousnel for the petitoner prays that the petitoner may be directed to pay 20% then delayed appeal be

WEB COPY

permitted before the tribunal since the tribunal has not been consituted. In fact when the first appeal is not filed there can be no second appeal filed since there is no order in the first appeal which could be apealed against before the tribunal. The learned counsel also points out that for other assessment years also the very same petitioner did not file an appeal and the writ petitioner filed CWJC no.6577 of 2023 which was withdrawn.

We find no way to entertain the challenge against the assessment order specially since there are no grounds with respect to those delineated in **State of H.P & Ors. v. Gujarat Ambuja Cement Limited & Anr.; (2005) 6 SCC 499..**

The writ petition stands dismissed.

**(K. Vinod Chandran, CJ)**

**( Partha Sarthy, J)**

Saurabh/Bibhash

| | | | |
|---|---|---|---|
| **U** | | | |

WEB COPY

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दिवानी याचिका क्षेत्राधिकार मामला सं०-**6694/2023**

एम/एस ओम नमः शिवाय एंटरप्राइजेज जिसका पंजीकृत कार्यालय चिवरा हट्टी में है। थाना-सिवान टाउन, सिवान-841226, गोदाम-छापरा रोड टुनटुन बाबू के पेट्रोल पंप, थाना-सराय ओ०पी०, सिवान-841226 अपने मालिक सुरादीप कुमार @सुरदीप कुमार, (पुरुष) के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 39 वर्ष है, पुत्र ओम देव प्रसाद, ग्राम-मखदुमसराय, थाना-सराय ओ पी, डाकघर एवं जिला-सिवान ।

याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

1. बिहार के मुख्य सचिव, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. राज्य करों के विशेष आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
4. राज्य करों के अतिरिक्त आयुक्त, (अपील), सिवान।
5. राज्य करों के संयुक्त आयुक्त, सिवान।
6. राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान।

उत्तरदाता/गण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तओं के लिएः श्री राजू प्रसाद,

अधिवक्ता प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्री विकास कुमार, एससी-11

गणपूर्ति/गणमान्यः माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस पार्थ सारथी

मौखिक आदेश

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

4 12-07-2023

याचिकाकर्ता 01.12.2022 पर पारित मूल्यांकन आदेश से व्यथित है। याचिकाकर्ता ने बीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील दायर नहीं की। याचिकाकर्ता कानून में दिए गए अपीलीय उपचार का लाभ उठाए बिना अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण उपचार का आह्वान करता है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता/वकील प्रार्थना करता है कि याचिकाकर्ता को 20% का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है, फिर विलंबित अपील को न्यायाधिकरण के समक्ष अनुमति दी गई है क्योंकि न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है।वास्तव में, जब तक पहली अपील दायर नहीं की जाती है तब तक कोई दूसरी अपील दायर नहीं की जा सकती है क्योंकि पहली अपील में कोई आदेश नहीं है जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष अपील किया जा सके।विद्वान वकील यह भी बताते हैं कि अन्य मूल्यांकन वर्षों के लिए भी उसी याचिकाकर्ता ने अपील दायर नहीं की और रिट याचिकाकर्ता ने वर्ष 2023 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. नं. 6577/2023 को वापस ले लिया गया था।

हम मूल्यांकन आदेश के खिलाफ चुनौती को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं पाते हैं, विशेष रूप से स्टेट ऑफ एच पी और अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और अन्र; (2005) 6 एससीसी 499 में वर्णित के लिए कोई आधार नहीं है ।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

**खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**